

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में सहायक उप निरीक्षक पुलिस 40,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 06 जुलाई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये हरदेवराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना शास्त्री नगर जोधपुर आयुक्तालय को 40,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी. बी. चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादीया के पति के साथ मारपीट का मुकदमा थाना शास्त्री नगर जोधपुर में दर्ज करवाया, इससे पूर्व खिलाफ पार्टी ने परिवादीया के पति व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया। दोनो प्रकरणो का अनुसंधान हरदेवराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना शास्त्री नगर जोधपुर आयुक्तालय द्वारा किया जा रहा था। आरोपी द्वारा परिवादीया के पति के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में मदद करने एवं परिवादीया के पति के साथ गये व्यक्ति (सुंडाराम) का नाम निकालने के नाम पर खर्चा पानी मांगने पर परिवादीया द्वारा पूर्व में रिश्वत राशि 5,000/- रुपये दे दिये, उसके बाद सूण्डाराम को आरोपी द्वारा पुलिस थाना बुलाकर परिवादीया के पति व अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मदद करने, सूण्डाराम व अन्य दो का नाम निकालने की एवज में सीआई के लिये 50,000/- रुपये देने की बात कही, परिवादीया ने भी आरोपी से बात की तो आरोपी द्वारा 50,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादीया को परेशान किया जा रहा था।

जिस पर एसीबी जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक श्री नारायण टोगस के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में आज पुलिस निरीक्षक श्री उमेश कुमार विश्नोई एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी हरदेवराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस, को परिवादीया के निवास पर आकर रिश्वत राशि 40,000/- रुपये प्राप्त कर अपने पेन्ट की जेब में रखने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।